

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 16, 2025 (PAUSA 26, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2025

संख्या 7/31/2014—3ए०आर०.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा), अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए0आर0, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा), अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए०आर०, दिनांक 13 नवम्बर, 2023 में, अनुसूची में, खाना 3 तथा 4 के नीचे,—

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, विद्यमान शीर्ष 'अस्थायी कनेक्शन जारी करना' तथा मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा मद प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"अस्थायी कनेक्शन जारी करना (कृषि छोड़कर)	षे पंपिंग (ए.पी.) श्रेणी को
3	4
(i) एल.टी. आपूर्ति	
सम्पूर्ण आवेदन प्रभारों और	
दस्तावेज़ों की प्राप्ति से	
• मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में	03 दिन
• अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में	07 दिन
• ग्रामीण क्षेत्रों में	15 दिन'';

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने, विद्यमान शीर्ष 'नये कनेक्शन/अतिरिक्त लोड जारी करना' तथा मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा मद प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

''नया कनेक्शन / अतिरिक्त लोड ज (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर)	ारी करना (कृषि पंपिंग
3	4
(i) एल.टी. आपूर्ति	
सम्पूर्ण आवेदन प्रभारों और दस्तावेज़ों की प्राप्ति की तिथि से	
• मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में	03 दिन
• अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में	07 दिन
• ग्रामीण क्षेत्रों में	15 दिन''।

विवेक जोशी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 16th January, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under Sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms Branch), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 30th November, 2023, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms Branch), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 30th November, 2023, in the Schedule, under columns 3 and 4,-

(i) against serial number 1, for the existing heading 'Release of Temporary Connection' and item (i), the following heading and item shall be substituted, namely:-

3	4	
"Release of Temporary connection (Except Agriculture Pumping (AP) Category)		
(i) LT Supply From receipt of complete application, charges, documents.		
In Metropolitan areas	03 Days	
In Other Municipal Areas	07 Days	
In Rural Areas	15 Days";	

(ii) against serial number 2, for the existing heading 'Release of new connection/additional load' and item (i), the following heading and item shall be substituted, namely:-

3	4		
"Release of new connection/additional load (Except Agriculture Pumping (AP) Category)			
 (i) LT Supply From receipt of complete application, charges, documents. • In Metropolitan areas • In Other Municipal Areas 	03 Days		
 In Other Municipal Areas In Rural Areas	07 Days 15 Days".		

VIVEK JOSHI, Chief Secretary to Government Haryana.

11578—C.S.—H.G.P., Pkl.